पटना में दिनांक–23 दिसम्बर, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1. केन्द्रीय योजना "सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटेरियल" अन्तर्गत बीज ग्राम योजना का रबी 2014–15 में 2861.918 (अठाईस करोड़ एकसठ लाख एकान्वें हजार आठ सौ) लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।

   1. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

2. महानन्दा नदी के बॉये किनारे पर किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखण्ड में अर्रावाड़ी ग्राम के निकट निर्माणाधीन कृषि महाविद्यालय के बाढ़ से सुरक्षा एवं River Bank Development कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 6176.42 लाख (इकसठ करोड़ छिहत्तर लाख एवं बयालीस हजार) रूपये है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

   2. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

3. राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं के पद पर नियमित नियुक्ति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक शक्तियों के आलोक में अधिमानता को मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में समाहित करने के संबंध में।

   3. **अधिमानता 10% की स्वीकृति दी गई।**

स्वास्थ्य विभाग

4. नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना के बीमार छात्र श्री विश्वजीत कुमार की सरकारी खर्चे पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कराये गये इलाज/चिकित्सा के व्यय हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से रू० 4,83,000/–(चार लाख तेरासी हजार रूपया मात्र) अनुदान की स्वीकृति।

   4. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

5. डा० मनोज कुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल जमुई, (सदर अस्पताल, बेगूसराय के लिए अधिसूचित सम्प्रति निलंबनाधीन) को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।

   5. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

6. उग्रवादियों/माओवादियों/अपराधियों के साथ मुठभेड़, बम बिस्फोट, लैण्डमाइन्स ब्लास्ट आदि में गम्भीर रूप से घायल हुए पुलिस कर्मियों के गैर सरकारी/गैर C.G.H.S/ निजी अस्पतालों में कराई गयी चिकित्सा पर हुये वास्तविक चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति। — 6. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

7. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य योजनान्तर्गत बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के संचालन हेतु ₹ 1483.60 लाख (चौदह करोड़ तेरासी लाख साठ हजार) रूपये की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

8. श्री संतलाल चौधरी, सेवानिवृत्त, सहायक श्रमायुक्त का 100% (शत प्रतिशत) पेंशन एवं उपादान की राशि जब्त करने का दण्ड के मंत्रिपरिषदीय निर्णय को वापस लेने का प्रस्ताव। — 8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-का लाभ देने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

10. राज्य में ग्रामीण समुदाय को स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरूपित नये दिशा-निर्देश एवं आगामी 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित योजना जिसमें वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (Individual House Hold Latrine-IHHL), सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitary Complex- CSC), ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (Solid Liquid Waste Management- SLWM), परिक्रमी निधि (Revolving Fund), प्रचार-प्रसार, आरंभिक गतिविधियां तथा क्षमता विकास (IEC, Start Up Activity and Capacity Building) और प्रशासनिक प्रभार (Administrative Charge) की गतिविधियां शामिल हैं, के वित्तीय लक्ष्य रू० 22164.288 करोड़ (बाइस हजार एक सौ चौसठ करोड़ अठ्ठाईस लाख अस्सी हजार रूपये) की राशि पर, जिसमें केन्द्रांश रू० 16612.994 करोड़ (सोलह हजार छः सौ बारह करोड़ निनानवे लाख चालीस हजार रूपये) एवं राज्यांश रू० 5551.294 करोड़ (पाँच हजार पाँच सौ एकावन करोड़ उन्तीस लाख चालीस हजार रूपये) है, की योजना की स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू० 360.00 करोड़ (तीन सौ साठ करोड़ रूपये) के व्यय की योजना की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–18181/2012, श्रवण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–31.01.2014 को पारित आदेश के आलोक में बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को संशोधित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

12. नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत नगर प्रबंधक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

वित्त विभाग

13. बिहार लेखा सेवा अंतर्गत मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 में संशोधन के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के भवन निर्माण योजना हेतु कुल रू० 6,04,37,092/– (छः करोड़ चार लाख सैतीस हजार बानबे रू०) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल योजना के क्रियान्वयन हेतु 2,00,00,000/–(दो करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

15. रब्बी 2014–15 मौसम में राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

16. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 की मध्यावधि समीक्षा के आलोक में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 में संशोधन/समावेश/परिवर्त्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 16. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

17. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा पुलों/आधारभूत संधारिताओं/Consultancy संबंधित निविदाओं में शामिल होने के लिए Business Development Advisor के एक पद को अस्थाई रूप से सृजित करने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक के 65 (पैंसठ) पदों का सृजन के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. गया जिलान्तर्गत गौरी कन्या मध्य विद्यालय, मानपुर, राजेन्द्र मध्य विद्यालय गोरवाटी, जहानाबाद जिलान्तर्गत मध्य विद्यालय मनियाँवा, मध्य विद्यालय उत्तरापट्टी, अरवल जिलान्तर्गत मध्य विद्यालय बसंतपुर, पूर्णियाँ जिलान्तर्गत मध्य विद्यालय अमचूड़ा एवं वैशाली जिलान्तर्गत मध्य विद्यालय नगवाँ एवं मध्य विद्यालय मदरना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20. विश्व बैंक द्वारा सम्पोषित करने की प्रतिबद्धता के आधार पर वर्ष 2014–15 में राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण देने हेतु 406 मध्य विद्यालय परिसर/उच्च विद्यालय परिसर/प्रखंड कार्यालय परिसर, जहाँ प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) निर्मित हैं, में दो कमरों का संसाधन कक्ष बनाने की योजना की स्वीकृति एवं तत्काल 406 मध्य विद्यालय परिसर/उच्च विद्यालय परिसर/प्रखंड कार्यालय परिसर में से 60 में संसाधन कक्ष (Resource Room) निर्मित करने हेतु प्रति संसाधन कक्ष (दो कमरा) ₹ 4783000.00 (सैंतालीस लाख तेरासी हजार) रूपये की दर से कुल ₹ 28,69,80,000.00 (अठाइस करोड़ उनहत्तर लाख अस्सी हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। — 20. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

21. अवर सेवा चयन परिषद्, पटना के विज्ञापन संख्या–05/88 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अवर शिक्षा सेवा (प्रा०शा०)के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित/नवनियुक्त अभ्यर्थियों जिनकी नियुक्ति शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 15 दिनांक–07.01.2013 द्वारा अवर शिक्षा सेवा (प्रा०शा०) में की गई है, को दिनांक–01.09.2005 से पूर्व लागू नीति के अनुसार सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या (जी०पी०एफ०) आवंटित करने एवं पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

22. बिहार राज्य चौकीदार/दफादार को वर्दी भत्ता की स्वीकृति के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

23. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजनान्तर्गत ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, पटना के बालिका छात्रावास निर्माण हेतु कुल रू० 6,85,79,561/–(छः करोड़ पचासी लाख उन्यासी हजार पाँच सौ एकसठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रू० 1,07,01,600/–(एक करोड़ सात लाख एक हजार छः सौ) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **23. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

24. श्री रजनी रमण अनाड़ी, तत्कालीन सहायक अभियंता, गंडक रूपांकण प्रमंडल सं०–3, सिवान, सम्प्रति निलम्बित को 'सेवा से बर्खास्त' करने के संबंध में। — **24. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

25. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के आलोक में कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश एवं शिकायत निवारण समितियो का गठन। — **25. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

26. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए वृहत दंड (सहायक अभियंता के पद पर अवनति) पर पुर्नविचार करते हुए स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **26. स्वीकृत।**